मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2002 (फाल्गुन 17, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2–5 सात–शा. 6–2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय से एक बच्ची की आंख निकाले जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम रमघड़ा में एक बालिका की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बाबूलाल गौर, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, विदिशा नगर में एक विद्यालय की छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सुधा जैन, सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, मुंशीलाल, सदस्य, सागर जिले में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ.सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इल्ली के प्रकोप से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, दिनांक 29 अगस्त, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क्रमांक 2230) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) सर्वश्री रसाल सिंह, राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

1 घन्टा — "सदन का यह मत है कि शासकीय/निगम एवं मण्डल के सेवकों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को तत्काल पद रिक्त न होने की दशा में संविदा नियुक्ति देकर बाद में पद स्वीकृत होने पर नियमित किया जावे."

(2) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :–

30 मि. — "सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय तालाबों की मेड़ पर जारी किये गये पट्टे निरस्त किये जावें."

(3) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

1 घन्टा — "सदन का यह मत है कि प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी वाले ऐसे समस्त ग्राम जो प्रधान मंत्री सड़क योजना में सम्मिलित नहीं हैं उन्हें प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़ा जावे."

डॉ.ए.के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 मार्च, 2002